



मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
 पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016
 फोन: 0755-2430154, 2463585, फैक्स:– 0755-4004137
 ई मेल:– secretary@mperc.nic.in वैबसाइट:– www.mperc.in

क्रमांक:मप्रविनिआ/डी(टी)/2023/2927

दिनांक : 27 / 12 / 2023

सार्वजनिक सूचना

जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने 2x250 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, बीना जिला सागर, मध्यप्रदेश के लिए आयोग के 30.04.2021 दिनांकित आदेश से अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के लिए एक याचिका दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 86 (1)(ए) के साथ पठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 के तहत दायर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग के अवधारित उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के उद्देश्य से दोनों इकाईयों के लिये वार्षिक स्थायी लागत (ए.एफ.सी.) के दावे का विवरण निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	आयोग के 30.04.2021 दिनांकित आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये एएफसी का अवधारण	याचिकाकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एएफसी का दावा	सत्यापन राशि
	अ	ब	ब—अ
पूंजी पर प्रतिलाभ	163.68	201.54	37.86
ऋण पूंजी पर ब्याज	70.46	73.61	3.15
अवमूल्यन / अवक्षयण	180.22	182.26	2.04
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	52.33	49.40	(2.93)
प्रचालन एवं संधारण व्यय	182.80	182.80	—
प्रचालन एवं संधारण व्यय (400 केवी पारेषण लाइन और बे)	—	0.40	0.40
भूमि के लिए देय पट्टा किराया	—	0.43	0.43
कुल वार्षिक स्थायी लागत(एएफसी)	649.48	690.43	40.95
कम: गैर-टैरिफ आय	2.40	0.85	(1.55)
शुद्ध वार्षिक स्थायी लागत	647.08	689.58	42.50
शुद्ध वार्षिक स्थायी लागत (स्थापित क्षमता के 65% के लिए)	420.60	448.23	27.63

आयोग ने याचिका स्वीकार कर इसे याचिका संख्या 63/2023 के रूप में दर्ज कर लिया है।

इस संदर्भ में आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रतियों के साथ उनकी आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव सीधे सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, ‘मेट्रोप्लाजा’, पंचम तल, ई-५ अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को इस प्रकार भेज दें कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाएं। इसकी एक कॉपी निदेशक, जयप्रकाश

पावर वैंचर्स लिमिटेड, “जेए हाउस” 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली— 110057 को भी भेज दें। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रति को फैक्स और ई-मेल से भी भेजा जा सकता है।

‘इच्छुक व्यक्ति’ याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति किसी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोग कार्यालय या निदेशक कार्यालय, जयप्रकाश पावर वैंचर्स लिमिटेड, “जेए हाउस” 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली— 110057 से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए 200 रु. नकद या एमपीईआरसी के नाम से भोपाल में देय या जयप्रकाश पावर वैंचर्स लिमिटेड (यूनिट: जेपी बीना थर्मल पावर प्लाण्ट) के नाम से नई दिल्ली में देय किसी अनुसूचित बैंक का रु. 200 का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा। याचिका की प्रति रु. 50 अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन दिनांक **13.02.2024** को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. भेजकर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव